प्रेस नोट—181 / 2026
दिनांक 31.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर रायबरेली पुलिस द्वारा, 18 वर्षीय छात्र की, 12 मिनट में, बचायी गयी जान

- आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रायबरेली पुलिस ने 12 मिनट में पहुंचकर 18 वर्षीय छात्र का जीवन बचाया
- दिनांक 29-03-2026 को कक्षा 12 के एक छात्र द्वारा महिला मित्र से दोस्ती टूटने के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन ट्रेस कर जनपद रायबरेली पुलिस को सूचित किया गया।
- दिनांक 01-01-2023 से 28-03-2026 तक इस पहल के अंतर्गत कुल 2376 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जा चुकी है।

दिनांक 29-03-2026 को जनपद रायबरेली के थाना मिल एरिया निवासी 18 वर्षीय छात्र द्वारा, **"दोस्तों मैं एक लड़की की वजह से मर रहा हूँ, घर में भी ताने सुनता हूँ और बाहर के भी ताने सुनता हूँ, इसलिए मैं मर ही जाता हूँ"** यह कहते हुए तथा **"मिस यू यार"** यह टेक्स्ट लिखकर, चूहेमार दवा खाते हुए, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक-29-03-2026 को रात्रि 08:58 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया**। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन की जानकारी करके जनपद रायबरेली को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर **थाना मिल एरिया के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र 12 मिनट के अन्तराल में छात्र के घर पहुंच गए**। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों को छात्र द्वारा किए गए पोस्ट की जानकारी देते हुए, अविलंब छात्र के पास दौड़ कर पहुंचे तो देखा कि छात्र के पास चूहेमार दवा का खाली पैकेट और पानी की बोतल पड़ी है और छात्र ज़ोर-ज़ोर से अपना पेट पकड़ कर दबा रहा था। पुलिसकर्मियों द्वारा अविलम्ब परिजनों के साथ छात्र को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा छात्र का उपचार करते हुए उसे एडमिट कर लिए गया।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने एवं स्वास्थ्य सामान्य होने के उपरांत पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पूछताछ में छात्र ने बताया कि **वह कक्षा 12 का विद्यार्थी है और एक लड़की से पारस्परिक प्रेम संबंध में था। कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी। इस घटना से छात्र मानसिक रूप से अत्यधिक आहत एवं अवसादग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसने यह कदम उठा लिया।**

पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, छात्र को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर छात्र द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। छात्र के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 28-03-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 2376 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा** की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित **SKOCH Award-2025** तथा **The Economic Times GovTech Awards- 2026** से सम्मानित किया गया है।

प्रेस नोट–182/2026
दिनांक 31.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली कर्नलगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **22 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.03.2026 को थाना कोतवाली कर्नलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नारायणपुर मांझा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमित उर्फ घुरले घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली कर्नलगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित उर्फ घुरले निवासी ढेहवा करनीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–22 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहरकला

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.03.2026 को थाना बेलहरकला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलडिहवा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्दू उर्फ विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बेलहरकला पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दू उर्फ विकास कुमार निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **अवैध शस्त्रों की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस 32 बोर**
- **05 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 31.03.2026 को थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध शस्त्रों की तस्करी कर रहे अभियुक्त शोएब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस 32 बोर, 05 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शोएब निवासी ग्राम तीतरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1—10 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस 32 बोर।

2—05 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस 315 बोर।

3—01 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मेरठ/थाना रेलवे रोड मेरठ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 30.03.2026 को थाना रेलवे रोड मेरठ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिटी रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित मंशा देवी मन्दिर के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त नौशाद उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत, हापुड व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रेलवे रोड मेरठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद उर्फ बादशाह निवासी असलतपुर फारूखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–02 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद बहराइच/साइबर थाना

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 15 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन, 01 पूर्व हस्ताक्षरित चेकबुक, 01 नोट गिनने वाली मशीन**
- **01 एसयूवी कार आदि बरामद**

दिनांक को साइबर थाना बहराइच पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजापुर माफी के पास से 06 अभियुक्तों 1–मो0 कैफ 2–नूर अहमद 3–अर्शियान उर्फ सुहेल 4–मो0 आमिर 5–सत्येन्द्र कुमार 6–रामजी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 15 लाख 40 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 पूर्व हस्ताक्षरित चेकबुक, 01 नोट गिनने वाली मशीन, 01 एसयूवी कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भोले–भाले लोगो को धन का प्रलोभन देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवा कर, उनके पूर्ववर्ती खातों का उपयोग, साइबर धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि को मगाकर चेक के माध्यम से निकालकर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में साइबर थाना बहराइच द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 कैफ निवासी बौकहा थाना रामगांव जनपद बहराइच।

2–नूर अहमद निवासी ढपाली पुरवा थाना को0 देहात बहराइच।

3–अर्शियान उर्फ सुहेल निवासी सखैय्यापुरा थाना को0 नगर जनपद बहराइच।

4–मो0 आमिर निवासी चांदपुरा थाना को0 नगर जनपद बहराइच।

5–सत्येन्द्र कुमार निवासी मलुहा भकुरहा थाना मटेरा जनपद बहराइच।

6–रामजी निवासी मोहल्ला वशीरगंज थाना को0 नगर जनपद बहराइच।

<u>बरामदगी</u>

1–धोखाधड़ी के 15 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–07 मोबाइल फोन, 01 पूर्व हस्ताक्षरित चेकबुक, 01 नोट गिनने वाली मशीन।

3–01 एसयूवी कार आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सचिन 2–जितेन्द्र 3–सतेन्द्र 4–आदित्य को धारा 302/201/342 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 24–24 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–वेदपाल को धारा 302/201/342/147 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना पश्चिम शरीरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पश्चिम शरीरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नर्मदा प्रसाद 2–रज्जू उर्फ प्रमोद 3–प्रभात उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजकपूर को सश्रम आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नंगा उर्फ पवन को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नसीम को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जेपी को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना सोनहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना सोनहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अंकलेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना बेला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना बेला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीलू को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–183/2026
दिनांक 31.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में जनपद गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 16 कार्य दिवस में 02 अभियुक्तों को क्रमशः आजीवन कारावास, 55 हजार रुपये व 04 वर्ष का कठोर कारावास, 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।</u>

- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।**
- **माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-01 जनपद गोरखपुर द्वारा 16 कार्य दिवस में बहस पूरी करते हुए दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया।**
- **वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषियों को मिली सजा।**

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के अंतर्गत चिन्हित जघन्य अपराधों में मा० न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को **न्यूनतम समय में अधिकतम सजा** दिलाए जाने हेतु निरंतर और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 31 मार्च 2026 को नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2026 धारा 65(2),238ए बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा 16 कार्य दिवस में बहस पुरी करते हुए अभियुक्त **अशोक निषाद** पुत्र टुनटुन निषाद निवासी साखी उर्फ मेंहदरिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर **आजीवन कारावास व 55,000 रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया व साक्ष्य छिपाने के आरोप में अभियुक्ता **2. सुनीता देवी** पत्नी टुनटुन निषाद उर्फ बृज बिहारी निषाद निवासी ग्राम साखी उर्फ मेंहदरिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर **04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड** से दंडित किया गया। उक्त अपराधियों के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी व ADGC श्री अरविन्द्र कुमार श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20/21.02.2026 की रात्रि में शादी समारोह के दौरान वादी की 06 वर्षीय नतिनी के साथ अभियुक्त अशोक निषाद उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अशोक निषाद व उसकी मां सुनीता देवी को साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मात्र 05 दिवस में कानूनी तरीके से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा 16 कार्य दिवस गवाहों के बयान दर्ज कर, बहस पूरी करते हुए अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।

———————